Widening of "Gola- Shahjahanpur" section of State Highway No. 93" from Km 0.000 to Km 49.000 of SH-93 in Lakhimpur Kheri district and from Km 49.000 to Km 59.000 of SH-93 in Shahjahanpur district of Uttar Pradesh

## SITE INSEPCTION REPORT

## (For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Office of Chief Engineer, World Bank Project, UPPWD, Lucknow for diversion under FCA-1980 of 4.9.0.90... ha of Protected Forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for improvement and upgradation of "Gola- Shahjahanpur" section of State Highway No. 93" from Km 49.000 to Km 59.000 of SH-93 in Shahjahanpur district of Uttar Pradesh.

This site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated a.../.6../.7016

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protected Forest land measuring ...... ha. PF-47-10 +PF 1-998 2 49-098 ha

Weather any rare/ endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of: -

Weather any protected archaeological/heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conversation), Act, 1980 provisions. A detail report as per Para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conversation) Act, 1980 is attached.

c) Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.



N.B.

i) State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

ii)Put of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2-2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forest is required.





## स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (दिनाँक 19.11.2015) 40

प्रस्तावित प्रोजेक्ट में इस प्रभाग के अन्तर्गत राज्यमार्ग संख्या—93 के गोला—शाहजहाँपुर हिस्से में 0.0 किमी. से 49.0 किमी. तक चौड़ीकरण का कार्य होना है।

प्रोजेक्ट में प्रभावित होने वाली वन भूमि तथा चौड़ीकरण हेतु बाधक वृक्षों, जिनका पातन प्रस्तावित है, का निरीक्षण याचक विभाग के साथ दिनाँक 19.11.2015 को किया गया। निरीक्षण में प्रभावित होने वाले वृक्षों, जिसकी सूची याचक एजेंसी द्वारा चिन्हित किये गये वृक्षों के आधार पर संयुक्त रूप से बनाई गई है, की पुष्टि की गई। यह पाया गया कि प्रस्तावित वृक्षों का पातन आवश्यक है तथा न्यूनतम है। चूँकि चौड़ीकरण का कार्य वर्तमान में संचालित राज्यमार्ग के दोनों ओर ही किया जाना है, अतः इस हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

चौड़ीकरण में इस प्रभाग की कुल 49.098 है0 वन भूमि का हस्तानान्तरण प्रस्तावित है, जिसमें 47.10 है0 संरक्षित वन तथा 1.998 है0 आरक्षित वन (Reserved Forest) शामिल है। राज्यमार्ग संख्या—93 जिसके दोनों ओर चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है, की दोनों पटरियाँ भारतीय वन अधिनियम की धारा—29 के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित है।

यह मार्ग किमी. 12.800 से 15.600 के मध्य आरक्षित वन से गुजरता है। आरक्षित वन के अन्तर्गत किमी. 12.755 से किमी. 12.940 के मध्य पूर्व से विद्यमान पुल के स्थान पर नया पुल भी बनाया जाना है। इस प्रकार चौड़ीकरण में कुल 1.998 हे0 आरक्षित वन भी प्रभावित हो रहा है एवं संरक्षित वन से निकलने वाले हिस्से को निकटवर्ती वनों में विद्यमान वन्य जन्तुओं के सड़क के दोनों ओर आवागमन में सहायता के उद्देश्य से दो छोटी पुलिया (2 x 1.5 mt.) की आवश्यकता है जिस पर याचक विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई।

इस प्रकार प्रोजेक्ट में पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या तथा चौड़ीकरण में प्रभावित वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम पाई गई।

प्रभागीय वनाधिकारी दक्षिण खीरी वन प्रभाग लखीमपुर—खीरी

